

दिनांक

आज्ञा पत्र

30.5.11

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित  
पीठासीन अधिकारी आज...  
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक...  
को पेश हो।

12.9.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित  
पीठासीन अधिकारी महोदय आज...  
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक...  
को पेश हो।

28.9.22

पत्रावली पेश वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि  
आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें  
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज  
कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलाट में रेस्पोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस  
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर  
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज  
की जाती है। निर्णय रे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर  
से कम होकर बाद तथीव तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-घनध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर(कैम्प इलाहाबाद)

